

**भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी**

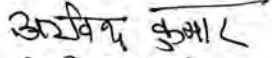
अध्यादेश

2014 का संख्या 1

वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/1/2014 : चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009-ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 के द्वारा बेचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम के छात्रों के प्रवेश तथा नामांकन से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए सीटों की संख्या बीस होगी जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप धारा (1) के उप बंध (a) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूं तथा यह अधिसूचित करता हूं कि बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के प्रथम वर्ष के छात्रों का प्रवेश कृषि महाविद्यालय झांसी को आबंटित किया जाएगा।

छात्रों का यह प्रवेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्नातक कार्यक्रमों के लिए कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (एआईईईए) द्वारा निर्धारित पात्रता संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप संचालित होगी। बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाला प्रत्येक प्रत्याशी भारतीय नागरिक होना चाहिए जिसकी आयु जिस वर्ष के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है उस शैक्षणिक वर्ष के 31 अगस्त को कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों को छोड़कर जिन्हें आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी, किसी भी अन्य प्रत्याशी को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी। प्रत्याशियों का चयन भारत सरकार की आरक्षण नीतियों को ध्यान में रखते हुए भा.कृ.अ.प. द्वारा आयोजित की गई एआईईईए के माध्यम से अंकों की प्रतिभा के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश की न्यूनतम अर्हकता अंग्रेजी, भौतिकी, रसायनविज्ञान और जीवविज्ञान/गणित या कृषि विषयों के साथ 10+2 स्तर पर कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक होगी।


(अरविन्द कुमार)
कुलपति

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

ज्ञापन सं. वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/1/2014 : झांसी, 16 जुलाई 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प., कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली
2. सचिव, डेयर, कृषि भवन, नई दिल्ली

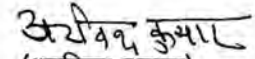
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

अध्यादेश

2014 का संख्या 2

वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/2/2014 : चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009-ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 के द्वारा अध्ययन के पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप धारा (1) के उप बंध (b) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा यह अधिसूचित करता हूँ कि आरएलबीसीएयू में बी. एससी. (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन का पाठ्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।


(अरविन्द कुमार)
कुलपति

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

ज्ञापन सं. वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/2/2014 : झांसी, 16 जुलाई 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प., कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली
2. सचिव, डेयर, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. पाठ्यक्रम समन्वयक, आरएलबीसीएयू, झांसी

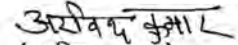
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

अध्यादेश

2014 का संख्या 3

वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/3/2014 : चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009-ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों की शिक्षण और परीक्षा के माध्यम से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप धारा (1) के उप बंध (c) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूं तथा यह अधिसूचित करता हूं कि रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में सभी स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षण व परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी।


(अरविन्द कुमार)
कुलपति

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

ज्ञापन सं. वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/3/2014 : झांसी, 16 जुलाई 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प., कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली
2. सचिव, डेयर, कृषि भवन, नई दिल्ली

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

अध्यादेश

2014 का संख्या 4

वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/4/2014 : चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009-ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 के द्वारा बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स) कृषि में अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षाओं में प्रवेश देने के लिए विभिन्न शुल्क लेने से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप धारा (1) के उप बंध (e) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा गैर-वापसी योग्य और वापसी योग्य, विभिन्न उन शुल्कों को अधिसूचित करता हूँ जो कृषि महाविद्यालय, झांसी के बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के छात्रों से प्राप्य होंगे और जिनका पैटर्न सीएयू, इम्फाल के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार होगा जिसे यहां तालिका में दिया जा रहा है।

क्र.सं.	शुल्क का विवरण	बी.एस. (ऑनर्स) कृषि
महाविद्यालय शुल्क-गैर-वापसी योग्य / सेमिस्टर		
1.	पंजीकरण शुल्क	40.00रु.
2.	प्रवेश शुल्क	10.00रु.
3.	ट्यूशन शुल्क	240.00रु.
4.	परीक्षा शुल्क	50.00रु.
5.	प्रयोगशाला शुल्क	100.00रु.
6.	पुस्तकालय शुल्क	40.00रु.
7.	पाठ्यक्रम पंजीकरण शुल्क	10.00रु.
8.	सेमिस्टर प्रतिवेदन शुल्क	10.00रु.
9.	छात्र कल्याण निधि	80.00रु.
10.	छात्रावास प्रवेश शुल्क	10.00रु.
11.	छात्रावास स्थापना शुल्क	20.00रु.
12.	छात्रावास पात्र, क्रॉकरी आदि का मूल्यह्रास प्रभार	90.00रु.

13.	छात्रावास कक्ष का किराया	600.00रु.
14.	जल प्रभार	60.00रु.
15.	विद्युत प्रभार	वास्तविक खपत के अनुसार
	कुल	1360.00रु.
वापसी योग्य (पाठ्यक्रम के लिए केवल एक बार अदा की जानी है)		
16.	महाविद्यालय जमानती राशि	200.00रु.
17.	छात्रावास जमानती राशि	500.00रु.
18.	विद्युत जमानती राशि	1000.00रु.
19.	भोजनालय जमानती राशि	2000.00रु.
	कुल	3700.00रु.

टिप्पणी :

1. छात्र भोजनालय संबंधी प्रभार वास्तव में हुए व्यय के अनुसार अलग से अदा करेंगे।
2. इस अध्यादेश में विशिष्टीकृत शुल्क अगली अधिसूचना तक 2014-15 के शैक्षणिक सत्र में बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश पाए छात्रों से प्राप्य होगी।

अरविन्द कुमार
 (अरविन्द कुमार)
 कुलपति

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

ज्ञापन सं. वीसी/आरएलवीसीएयू/अध्यादेश/4/2014 : झांसी, 16 जुलाई 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प., कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली
2. सचिव, डेयर, कृषि भवन, नई दिल्ली

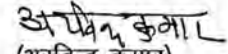
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

अध्यादेश

2014 का संख्या 5

वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/5/2014 : चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009-ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति, प्रतिभा-एवं-साधन छात्रवृत्ति तथा प्रतिभा-उत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति छात्रों के लिए) प्रदान किए जाने से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप धारा (1) के उप बंध (f) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति, प्रतिभा-एवं-साधन छात्रवृत्ति तथा प्रतिभा-उत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों/नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।


(अरविन्द कुमार)
कुलपति

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

ज्ञापन सं. वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/5/2014 : झांसी, 16 जुलाई 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प., कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली
2. सचिव, डेयर, कृषि भवन, नई दिल्ली

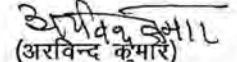
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

अध्यादेश

2014 का संख्या 6

वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/6/2014 : चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009-ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 द्वारा छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप धारा (1) के उप बंध (g) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के छात्रों के लिए परीक्षा की सेमिस्टर प्रणाली से संबंधित शर्तें तथा क्रियाविधियां अगले अध्यादेश के जारी होने तक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल द्वारा अपनाए जाने वाले शैक्षणिक विनियमों के अनुसार लागू होंगी/अपनाई जाएगी।


(अरविन्द कुमार)
कुलपति

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

ज्ञापन सं. वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/6/2014 : झांसी, 16 जुलाई 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प., कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली
2. सचिव, डेयर, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. पाठ्यक्रम समन्वयक, आरएलबीसीएयू, झांसी

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

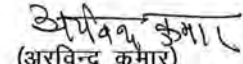
अध्यादेश

2014 का संख्या 7

वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/7/2014 : चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने कथित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009-ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 द्वारा छात्रों के आवास की शर्तों के संबंध में अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप धारा (1) के उप बंध (h) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के छात्रों के आवास की निम्न शर्तें अधिसूचित करता हूँ :

1. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी एक आवासीय विश्वविद्यालय होगा।
2. विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र विश्वविद्यालय के छात्रावास में विश्वविद्यालय द्वारा वांछित और प्रबंधित ऐसे ही किसी अन्य आवास में रहेगा।
3. इस अध्यादेश के पैरा 1 और 2 में वर्णित तथ्य के अलावा छात्र को विशेष परिस्थितियों में अपने माता-पिता/अभिरक्षक के साथ संबंधित अधिष्ठाता की स्वीकृति से छात्रावास के बाहर ठहरने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए माता-पिता/अभिरक्षक द्वारा विशेष तौर पर लिखित अनुरोध करना होगा और जहां छात्र रह रहा है वह स्थान महाविद्यालय से उचित दूरी पर स्थित होना चाहिए।


(अरविन्द कुमार)
कुलपति

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी

ज्ञापन सं. वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/7/2014 : झांसी, 16 जुलाई 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प., कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली
2. सचिव, डेयर, कृषि भवन, नई दिल्ली